न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 23 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मांगाराम पुत्र सोनाराम
2. भंवरा पुत्र सोनाराम
3. जीवाराम पुत्र सोनाराम
4. चुकीदेवी बेवा सोनाराम जाति माली निवासी धारणा तहसील सिवाना

रेसपोडेंटगण

बनाम 1.गोका पुत्र सवा कायम मुकाम
1/1रूपो बेवा गोकाराम
1/2गणपत पुत्र गोकाराम
1/3लूणाराम पुत्र गोकाराम
1/4भगाराम पुत्र गोकाराम
1/5सूजाराम पुत्र गोकाराम
1/6चम्पाराम पुत्र गोकाराम
1/7सतकी बेवा पुखराज पुत्र गोकाराम
2.रामा पुत्र सवा
3.मावाराम पुत्र तुलसाराम
4.बाबु पुत्र तुलसाराम
5.सुन्दर बेवा तुलसाराम
6.देवाराम पुत्र जोधाराम जातियान माली निवासीयान धारणा तहसील सिवाना का.मु.
6/1नैनाराम पुत्र देवाराम का.मु.
6/1/1विकास पुत्र नैनाराम
6/1/2जंगाल पुत्री देवाराम धर्मपत्नी गणपतजी पुत्र गोबरजी निवासी धारणा की वास बालोतरा
6/1/3कैलाश पुत्र नैनाराम
6/1/4रेखा पुत्री नैनाराम
6/1/5पींका पुत्री नैनाराम
6/1/3 ता 6/1/5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता एलसीदेवी धर्मपत्नी नैनाराम
6/1/6एलसीदेवी धर्मपत्नी नैनाराम जाति माली
6/2ढलाराम पुत्र देवाराम
6/3तेजाराम पुत्र देवाराम
6/4ढपली पुत्री देवाराम धर्मपत्नी पुखराज
6/5चड़की धर्मपत्नी देवाराम
7.भोला पुत्र जोधाराम
8.मगा पुत्र जोधाराम
9.देरामा पुत्र छोगा फौत कायम मुकाम
9/1गोमती बेवा देरामा
9/2चौथा पुत्र देरामा
9/3मोहन पुत्र देरामा
9/4हस्ता पुत्र देरामा फौत कायम मु.
9/4/1महेन्द्र पुत्र हस्ता
9/4/2रमेश पुत्र हस्ता जाति माली निवासीयान धारणा तहसील सिवाना
9/4/3कांता पुत्री हस्ता पत्नी आम्बाराम माली निवासी चूली तहसील सिवाना

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

9/4/4पिंकी पुत्री हस्ता पत्नी सुरेश जाति माली निवासी मिठोड़ा
9/4/5पुष्पा पत्नी हस्ता जाति माली निवास धारणा तहसील सिवाना
9/5जगा पुत्र देरामा जाति माली
9/6लाला पुत्र देरामा
9/7बाबू पुत्र देरामा
10.चैनाराम पुत्र भोलाराम
11.राजूराम पुत्र भोलाराम जाति माली निवासीयान धारणा तहसील सिवाना
12.दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ लिमिटेड बालोतरा जरिये शाखा मैनेजर शाखा सिवाना जिला बाड़मेर
13.सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बालोतरा जिला बाड़मेर
14.राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमिधारक सिवाना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 02/2019 बअनवान गोकाराम के कायम मुकाम बनाम मांगाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 22.03.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश डाबी रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 05 की ओर से।
3. वकील श्री भरत गहलोत रेस्पोडेंट संख्या 6/1/1 से 08 की ओर से।
4. वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा रेस्पोडेंट संख्या 9/1 से 9/7 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.02.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने इस आशय का प्रार्थना—पत्र पेश किया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 140/2010 (110/2007) पेश किया, जिसमें दिनांक 16.09.2013 को निर्णित किया गया, रेस्पोडेंट प्रार्थीगण की ओर से पैरोकारी हेतु गोकाराम न्यायालय में हाजिर आते रहे, किन्तु बीमार हो जाने से न्यायालय में हाजिर नहीं आ सके, न ही प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हो सके, प्रार्थीगण को उनके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी, प्रार्थी संख्या 01 गोकाराम के लगातार बीमार रहने से दिनांक 30.12.2013 को देहान्त हो गया, इस कारण प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके और न ही न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञान ही हुआ, प्रार्थीगण ने न्यायालय में आकर दिनांक 09.04.2014 को रीडर से सम्पर्क किया तो पता चला की दिनांक 17.06.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही होकर प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.09.2013 को एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

गयी हैं। प्रार्थीगण परिस्थितियों के कारण न्यायालय में हाजिर नहीं आ सके, अगर प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री निरस्त नहीं की गई तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। अपीलाधीन एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया, उपरोक्त प्रकरण में भी विप्रार्थी संख्या 01 ता 04 के अधिवक्ता उपस्थित हुए, पत्रावली तलबी हेतु विचाराधीन रही, इसी दरमियान प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहने से पुनः उपरोक्त अनवान प्रकरण दिनांक 12.08.2016 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में निरतारित कर पत्रावली फैसल शुमार कर दी गयी, प्रार्थीगण को पेशी तारीख की सुनवाई का ज्ञान न होने से अदालत में उपस्थित नहीं आ सके, उपरोक्त अनवान प्रकरण में की गयी कार्यवाही बावत् जानकारी प्राप्त होने पर नकले प्राप्त की, तब दिनांक 12.08.2016 को उपरोक्त अनवान प्रकरण की पत्रावली में किये गये आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 23.01.2019 को नकल प्राप्त होने से हुई, अनवान प्रकरण में दिनांक 12.10.2018 के आदेश को निरस्त करते हुए दिनांक 17.06.2013 को प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित निर्णय डिक्री दिनांक 16.09.2013 को अपास्त किया गया। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। चारों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्षों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया और अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता अपीलांट विप्रार्थी संख्या 01 ता 04 ने मात्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर ही बहस की थी, किन्तु आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 05, आदेश 06 नियम 17 सी पी सी, आदेश 09 नियम 13 सी पी सी को भी गुणावगुणों पर बिना सुनवाई का सबूत का अवसर दिये बाले बाले ही पारित किया गया। पूर्व में पेश किया गया आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 13 सी पी सी दिनांक 12.08.2016 को खारिज करने के बाद करीब 02 वर्ष 05 माह बाद पुनः आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 13 सी पी सी का प्रस्तुत किया, यहा यह निवेदन करना भी उचित हैं, कि दोनों ही प्रार्थना–पत्रों में एकपक्षीय कार्यवाही व निर्णय होने के तथ्यों की जानकारी वाली तारीखें खाली राखी गई, जो बाद में पेन से लिखी गई, जो इस बात का द्योतक हैं, कि जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने की नीयत से मनमर्जी मुताबिक तारीखों का अंकन प्रार्थना–पत्र में कर पेश किये गये। अपीलाधीन

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

आदेश पारित करते वक्त मनमानी व एकांकी तौर से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया हैं, और यह संप्रेषण किया गया कि, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया, उसकी पालना नहीं हुई हो, जब अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई के वक्त पक्षकारान प्रार्थीगण रेस्पोडेंट उपस्थित ही नहीं हो रहे थे, तो न्यायालय में एक ही विकल्प था, वो था एकपक्षीय कार्यवाही अगल में लाई जाकर आगे प्रोसीड करना, जो विधि सम्मत तरीके से किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया, उसमें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मनमानी तरंग पर पक्षकार द्वारा नहीं चाहा गया अनुतोष भी प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2012(1) Page 217
RRT 2017(1) Page 711

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 05 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 140/2010 (110/2007) पेश किया, जिसमें दिनांक 16.09.2013 को निर्णित किया गया, रेस्पोडेंट प्रार्थीगण की ओर से पैरोकारी हेतु गोकाराम न्यायालय में हाजिर आते रहे, किन्तु बीमार हो जाने से न्यायालय में हाजिर नहीं आ सके, न ही प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हो सके, प्रार्थीगण को उनके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी, प्रार्थी संख्या 01 गोकाराम के लगातार बीमार रहने से दिनांक 30.12.2013 को देहान्त हो गया, इस कारण प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके और न ही न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञान ही हुआ, प्रार्थीगण ने न्यायालय में आकर दिनांक 09.04.2014 को रीडर से सम्पर्क किया तो पता चला की दिनांक 17.06.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही होकर प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.09.2013 को एकपक्षीय डिक्री जारी कर दी गयी हैं। प्रार्थीगण परिस्थितियों के कारण न्यायालय में हाजिर नहीं आ सके, अगर प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एवं एकपक्षीय निर्णय व डिक्री निरस्त नहीं की गई तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। अपीलाधीन एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया, उपरोक्त प्रकरण में भी विप्रार्थी संख्या 01 ता 04 के अधिवक्ता उपस्थित हुए, पत्रावली तलबी हेतु विचाराधीन रही, इसी दरमियान

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं रहने से पुनः उपरोक्त अनवान प्रकरण दिनांक 12.08.2016 को अदम हाजरी, अदम पैरवी में निरतारित कर पत्रावली फैसल शुमार कर दी गयी, प्रार्थीगण को पेशी तारीख की सुनवाई का ज्ञान न होने से अदालत में उपस्थित नहीं आ सके, उपरोक्त अनवान प्रकरण में की गयी कार्यवाही बावत् जानकारी प्राप्त होने पर नकले प्राप्त की, तब दिनांक 12.08.2016 को उपरोक्त अनवान प्रकरण की पत्रावली में किये गये आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 23.01.2019 को नकल प्राप्त होने से हुई, इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया वह वास्तविक ज्ञान की तारीख से अन्दर मियाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2013 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई जिसे अपास्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

AIR 2007 SC (Supp) Page 1021
RLW 2006(1) Page 324
RLW 2005(1) Page 432
RRT 2008(2) Page 1406
RRT 2021(1) Page 482
DNJ (SC) 2009 Page 846
AIR 2005 SC Page 1158

वकील रेस्पोडेंट संख्या संख्या 6/1/1 से 08 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने के आदेश पारित किये वो न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 9/1 से 9/7 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मुझ प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 140/2010 (110/2007) पेश किया, जिसमें दिनांक 16.09.2013 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण की ओर से पैरोकारी हेतु रेस्पोडेंट संख्या 01 गोकाराम न्यायालय में हाजिर आते रहे, किन्तु बीमार हो जाने से न्यायालय में हाजिर नहीं आ सके, न ही प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हो सके, प्रार्थीगण को उनके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी नहीं हो सकी, प्रार्थी संख्या 01 गोकाराम के लगातार बीमार रहने से दिनांक 30.12.2013 को देहान्त हो गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2013 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी पी सी पेश हुआ जो दिनांक 12.08.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। उपरोक्त आदेश की जानकारी रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उनको नहीं दी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहने बाबत रोज सुनवाई तारीख का ज्ञान न होने के अभाव में उपस्थित नहीं हो पाये। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकारान को दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2016 पारित होने के पश्चात रेस्पोडेंटस को उपरोक्त आदेश का ज्ञान होने पर दिनांक 23.01.2019 को नकले प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपरोक्त आवेदन/प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2013 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंटस को सुनवाई का अवसर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पूर्ण रूप से पालना की गई। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 47/2009 प्रस्तुत की जो दिनांक 20.05.2010 को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत का अवसर देकर पुनः निर्णित करने के आदेश पारित किये गये। उपरोक्त आदेश पारित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी अपील में उजर लिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पक्षकार द्वारा नहीं चाहा गया अनुतोष प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मातहत अदालत द्वारा एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया गया जो अपने क्षेत्राधिकार का है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया उसके पश्चात उसकी

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पालना में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज स्वतः ही शून्य हो जाते है। इसलिए अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है RLW 2006(1) Page 324 (विलम्ब की अवधि महत्वहीन है, स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एक मात्र मानदण्ड है– न्यायालय एक बार जब स्पष्टीकरण को पर्याप्त मान लेता है तो इसका परिणाम होगा विवेकाधिकार का सकारात्मक प्रयोग और सामान्यतया वरिष्ठ न्यायालय को ऐसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये–न्यायालय का प्राथमिक कार्य है पक्षकारों के साथ सारभूत न्याय करना)

RLW 2005(1) Page 432 (पक्षकार की अनुपस्थिति में पारित किये गये आदेश में परिसीमा का प्रश्न अर्थहीन हो जाता है)

DNJ (SC) 2009 Page 846 (Delay of 178 days in filing appeal explained properly Merits of the case also considered)

हमारी सुविचारित राये में हस्तगत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि रेस्पोडेंटस को मातहत अदालत द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण को तकनिकी बिन्दुओं के निस्तारण के लिए रिमाण्ड करना उचित नहीं है। प्रकरण पहले से ही मातहत अदालत के सामने सुनवाई में विचाराधीन है।

उपरोक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात तथा न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 02/2019 बअनवान गोकाराम के कायम मुकाम बनाम मांगाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 22.03.2021 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जोखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर